तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रा0 पत्र संख्या 74/2022 अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 उनवानी रतनलाल बनाम सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी GCMS 2022/17	

01.11.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। वहस अधिवक्ता प्रार्थी पूर्व में सुनी जा चुकी है। आज निर्णय सुनाया जाना है।

प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह है कि राजस्व ग्राम पपुरना की मिसल हैकियत संवत 1999 के खाता संख्या 295 के खसरा नम्बर क्रमशः 5023 रकवा 1 वीघा 8 विस्वा, 5064 रकवा 1 वीघा 8 विस्वा, 5351 रकवा 5 वीघा 11 विस्वा, 5574 रकवा 14 विस्वा, 6435 रकवा 3 विस्वा, 6436 रकवा 2 वीघा 4 विस्वा एवं 5579 रकवा 5 विस्वा किता 7 कुल रकवा 11 वीघा 13 विस्वा की गोरधन, वींजा पिता लक्ष्मण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड रही है। खसरा मिलान क्षेत्रफल ग्राम पपुरना के अनुसार उपरोक्त गत खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर क्रमशः 2375, 2396, 3697, 3699, 3700, 3715, 3716, 3721, 2541 व 3864 निर्मित हुये है। खसरा नम्बर 2375, 2396, 3697, 3699, 3700, 3715, 3716, 3721 किता 8 कुल रकवा 2.11 हेक्टेयर वर्तमान में ग्राम संयजनगर की जमावन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या नया 149 में तथा खसरा नम्बर 2541, 3864 किता 2 रकबा 0.83 हेक्टेयर ग्राम अजयनगर की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या नया 51 में दर्ज रिकार्ड है। गोरधन के 3 पुत्र हुये क्रमशः मेहरचन्द, रामनाथ व झाबर तथा बींजा के 5 पुत्र हुये रामसहाय, हेमा, छोटू, बोदू व बालू। गोरधन, बींजा पिता लक्ष्मण की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि की खातेदारी उनके उपरोक्त पुत्रों के नाम दर्ज हुई जो ग्राम पपुरना की जमाबन्दी संवत 2012 के खाता संख्या 293, जमाबन्दी संवत 2014 के खाता संख्या 293, जमाबन्दी संवत 2018 से 2021 के खाता संख्या 589 में बदस्तुर चली आ रही थी। इसके पश्चात के राजस्व रिकार्ड से प्रार्थी के पिता बोदूराम पुत्र बींजाराम का नाम बिना किसी सक्षम आदेश के हटा दिया गया जो अनुचित है। प्रार्थी के पिता का नाम पुनः राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे ताकि प्रार्थी अपने पिता का विरासत नामान्तरकरण दर्ज करवा सके। क्योंकि प्रार्थी के पिता की दिनांक 09.06.1991 को मृत्यु हो चुकी है।

प्रकरण में वर्णित तथ्यों की तहसीलदार खेतड़ी से जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी ने अपने पत्रांक राजस्व/2022/253 दिनांक 06.06.2022 से इस आशय की जांच रिपोर्ट पेश की है कि ग्राम संयजनगर के भूमि खसरा नम्बर 2375, 2396, 3697, 3699, 3700, 3715, 3716, 3721 किता 8 कुल रकबा 2.11 हेक्टेयर तथा ग्राम अजयनगर के खसरा नम्बर 2541 व 3864 किता 2 कुल रकबा 0.83 हेक्टेयर प्रार्थीगण रतनलाल पुत्र बोदु के पिता का नाम जमाबन्दी संवत 2022 से पूर्व की जमाबन्दी में था। अर्थात जमाबन्दी संवत 2022 की जमावन्दी में नहीं है। पुराने दस्तावेजों [illegible] रिकार्ड जिसमें नाम हटने के कारण का पता नहीं चल रहा [illegible] अतः [illegible]र्थीगण के पिता का नाम सहवनन से हटा होगा। प्रार्थीगण के पिता [illegible] नाम जोड़ा जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.17 14:41:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध करा[illegible] गये समस्त राजस्व अभिलेख का सुक्ष्म अध्ययन किया गया तथा ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व अभिलेख का सुक्ष्म अध्ययन किये जाने के पश्चात यह तथ्य सामने आया है कि

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी के पिता का नाम संवत 2022 से पूर्व के राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है। परन्तु संवत 2021 के पश्चात के राजस्व रिकार्ड में बिना किसी सक्षम आदेश के हटा दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाये योग्य पाया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 25.09.2007 के मुताबिक प्रार्थी के पिता की दिनांक 09.06.1991 को मृत्यु हो चुकी है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजस्व रिकार्ड के संदेह से परे साबित होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वह ग्राम पपुरना की जमाबन्दी संवत 2018–2021 के खाता संख्या 589 खसरा नम्बर क्रमशः 5023 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 5064 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 5351 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, 5574 रकबा 14 बिस्वा, 6435 रकबा 3 बिस्वा, 6436 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं 5579 रकबा 5 बिस्वा किता 7 कुल रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा को आधार मानते हुये ग्राम संजयनगर की हाल जमाबन्दी संवत 2074–2077 खाता संख्या नया 149 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 2375, 2396, 3697, 3699, 3700, 3715, 3716, 3721 किता 8 कुल रकबा 2.11 हेक्टेयर व ग्राम अजयनगर की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या नया 51 के हाल खसरा नम्बर 2541, 3864 किता 2 कुल रकबा 0.83 हेक्टेयर में रामसहाय, हेमा, छोटू, बालू पिता बींजा स्वयं/उनके वारिसान का हिस्सा 1/8 के स्थान पर 1/10 दुरूस्त किया जावे तथा मजमें आम में जांच कर मृतक बोदु पुत्र बींजा के 1/10 हिस्से का उनके वारिसान/विधिक उतराधिकारियों के नाम फौतगी विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी के नाम इस आशय की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.17 14:41:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner